

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

..... धनराज सुथार बनाम मन्दि देवी सुथार वर्ग
 किस्म मुकदमा 53,188 RT Act नं. 21/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

23/11/19
 वकील वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188
RT Act
 विरुद्ध विपक्षी पेश किया गया। वादपत्र पत्र बाद जाँच
 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक
13/6/19 को पेश हो [Signature]

13/6/19

पत्रावली पेश हुई वादी पत्र उपस्थित पितासीन
 अधिकारी का स्थानान्तरण / उत्तर में पेश
 हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः आजकाश
 पत्रावली साविक दिनांक 25/11/19 को पेश हो।

आज्ञा से
[Signature]

25/6/19

पत्रावली पेश हुई उत्तर पत्र उपस्थित / अभिभावक
 द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया / स्वीकार
 किया जाता है पत्रावली दिनांक 29/8/19 को पेश हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

29.08.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई के
 दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा
 53, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं

[Signature]
29/8/19

ख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व
अहका
हुक्म की
में जा

चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत विभाजन आराजीयात में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

44